

## फर्द अहकाम

### न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री जमनाशंकर

बनाम

विपक्षी : श्री डालू व अन्य

किरम मुकदमा - 128 भूराजस्व अधिनियम

पत्रावली संख्या : 89/25

क्रमांक

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। विपक्षी संख्या 1, 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 2, 3 की तामिल रिपोर्ट पर लेने से इनकार की रिपोर्ट प्राप्त हुई जिससे विपक्षी संख्या 2, 3 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त। विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित। आवाजे दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 1 से 3 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। विपक्षी संख्या 4 द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 4 का जवाब का अवसर बंद किया जाता है। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी को सुना गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि की पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकर्ड में खातेदारी से अंकित हैं। विपक्षीगण प्रार्थनाग्रस्त भूमि के पड़ोसी है। प्रार्थनाग्रस्त भूमि का पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से सीमा को लेकर पक्षकारान में विवाद रहता है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षीगण द्वारा प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं किया गया। विपक्षी संख्या 1 से 3 अनुपस्थित रहे।

हमने पाया की प्रार्थनाग्रस्त भूमि में प्रार्थीगण खातेदार हैं। खातेदार को अपनी भूमि पर पत्थरगढी करवाये जाने का पूर्ण अधिकार है। पत्थरगढी किये जाने से प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन हो जायेगा तथा भविष्य में सीमा संबंधित विवाद नहीं रहेंगा जिससे प्रकरण में पत्थरगढी किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र न्यायहित में सर्शत स्वीकार किया जाता है।

### —: आदेश :-

परिणामस्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू राजस्व अधिनियम का सर्शत स्वीकार किया जाता है कि मौजा नारायणपुरा पटवार हल्का बडगांव तहसील भीण्डर जिला उदयपुर की जमाबंदी 2078-81 की खाता संख्या नया 308 की आराजी न. 1708, 1709, 1710, 1712, 1713, 1714, 1715, 1716, 1718 किता 9 रकबा 3.5500 है। भूमि की चारों दिशाओं सीमा की पत्थरगढी कर सीमांकन कराया जावे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार भीण्डर को 1000/- एक हजार रूपया कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि पक्षकारान को सूचित कर पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करें। यदि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि की तरमीम व रेकर्ड में कोई त्रुटि हो तो पत्थरगढी नहीं की जावे। उक्त पत्थरगढी किसी प्रकार का कब्जा प्राप्त करने से संबंधित नहीं है। अतः यदि उक्त भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है तो प्रार्थी कब्जा प्राप्ति हेतु सक्षम न्यायालय से राहत प्राप्त करें। तहसीलदार सुनिश्चित करें कि पत्थरगढी के दौरान कब्जा प्राप्ति की कार्यवाही न हो। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जाकर पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। फीस कमिश्नर राशि का भुगतान प्रार्थी अदा करेंगे।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।